न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 12/13 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2013/00186

उनवान

1. झम्मन
2. रतन } पिसरान रामचंद
3. पूरन
4. जगदीश } पिसरान सोहनलाल
5. बाबूलाल

समस्त जातियान गडरिया, निवासीयान मांडी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

6. प्रकाश
7. सुरेश } पिसरान प्रभू
8. राधाकिशन
9. ध्रुव सिंह } पिसरान सेदू
10. खत्ती पुत्र टीका
11. रामबाबू पुत्र बिजेन्द्र
12. लल्लू उर्फ बोना वली सरपरस्त माता खुद रामवती देवा बिजेन्द्र जाति गडरिया साकिन मांडी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
13. रामवती देवा बिजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांडी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
14. दिनेश } पिसरान बिजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांडी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
15. राजेन्द्र
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
17. श्रीमान् सब रजिस्ट्रार तहसील नदबई।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रजनीकान्त
2. कृष्ण गोपाल } पिसरान अमर सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी मांडी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. रामनिवास
4. निरंजनलाल

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नदबई दिनांक 31.12.2012 उनवानी रजनीकान्त बनाम झम्मन मु0न0 145/12

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गिरीश चतुर्वेदी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 13.09.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के आदेश दिनांक 31.12.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी पर संवत 2028 से पूर्व के साविक खसरा नम्बरान पर सायलान के पिता स्व0 अमर सिंह संवत 2012 से पूर्व से ही गैर मौरूसी एवं भूदान पत्रधारी दर्ज एवं काबिज कृषक हैं। जिसके कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 जमीदारी उन्मूलन एक्ट 1959 की धारा 30 के तहत प्राप्त अधिकारो के तहत नामान्तकरण 84 द्वारा संवत 2014 से 2017 की जमाबन्दी में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने उक्त विवादित आराजी में गैर सायलान के पिता सेडू व टीका के नाम अवैध रूप से बतौर शिकमी के इंद्राज गलत कर दिये, जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। विवादित आराजी अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी है जिनमें से अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत 7 के पूर्वजो ने यह भूमि जरिये पंजीकृत वयनामा क्रय की है तथा शेष के पूर्वज शेडू व टीका को आराजी मुतनाजा में शिकमी कृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19(1) के प्रावधानो के अनुसार खातेदारी अधिकार मिले हैं। जिन्हें अपीलाण्ट ने उनके उत्तराधिकार में प्राप्त किया है इस प्रकार खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। विवादित आराजी पर लम्बे समय से राजस्व अभिलेख में खातेदार के इन्द्राज व कब्जा काश्त चला आ रहा है जबकि रैस्पो0 के हक में कभी कोई इन्द्राज खातेदार अंकित नहीं हुये हैं। उन्हें कोई अधिकार विवादित आराजी के किसी भाग पर होते हैं यह तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त दावे में तय होगा। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर ना करते हुये

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 अपने पूर्वजो के समय से ही खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी संवत 2014–17 में विवादित खसरा नम्बर में कृषक के खाते में अमर सिंह वल्द नंदन कौम ब्राहम्ण के नाम खातेदारी दर्ज है, जो कि नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 16.01.1965 से विशेष विवरण में दर्ज प्रविष्टियों भूदान पत्र से आना अंकित है। इसके पश्चात् विवादित आराजी रैस्पो0 के पूर्वजो के नाम किस प्रकार बन्दोबस्त विभाग ने परिवर्तित की उक्त तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होना शेष है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में अधिक पुष्ट होती है। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम पाते हैं कि; दौराने वाद विवादित भूमि को सुरक्षित रखने एवं वादकरण की जटिलता व बहुलता से बचने के लिए विवादित भूमि के रेकार्ड व मौके की, पक्षकारान द्वारा यथास्थिति रखना निरापद है। उपरोक्त विवेचानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के निर्णय दिनांक 31.12.2012 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13.09.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर